1.3.2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हम पक्षगण के मध्य लोक अदालत की प्रेरणा से आपस में राजीनामा हो गया है। अब मैं वादिनी अन्त अनवानी [illegible] आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। निवेदन है कि मुझ वादिनी को अन्त अनवानी विड्रो करने की अनुमति फरमावें। अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अर्जी विड्रोवल वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार फैसल कुमार होकर शामिल रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested